-1-

262

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2017 जिला जबलपुर

R 205 - I/17.

लटोरीलाल पिता छोटेलाल धुर्वे,
निवासी ग्राम मुकनवारा, तहसील बरगी,
जिला जबलपुर म.प्र. —— आवेदक

विरूद्ध

श्री .... द्वारा आज दि. 16.1.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 16/1/17

1- श्री राकेश अवस्थी पिता श्री शिवरतन अवस्थी,
निवासी मं.नं. 1591 गंगानगर बचकेरा तालाब,
नव निवेश कालोनी, गढ़ा वार्ड, गढ़ा
जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर —— अनावेदकगण

16/01/17

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 173/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 3-10-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

रिविजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम नयागांव, नं.बं. 236, प. ह.नं. 33/38 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 147/1 रकबा 1.330 हैक्टर भूमि अनावेदक कमांक 1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राकेश अवस्थी को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की

लटोरीलाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 205-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-17	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 173/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 3-10-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक लटोरीलाल धुर्वे पिता छोटेलाल धुर्वे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नयागांव, न. बं. 236 प.ह.नं. 33/38 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 147/1 रकबा 1.330 हैक्टर को /गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राकेश अवस्थी पिता श्री शिवरतन अवस्थी को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण किया जाकर संहिता की धारा 165(6-ग) में उल्लेखित बातों के अतिरिक्त 6 बिंदुओं एवं अन्य समस्त बिंदुओं जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण के तथ्यों से हटकर बिंदु निर्धारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं जबकि आवेदक ने अपने आवेदन के साथ क्रेता का शपथपत्र,	

R 205-I/17 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	इकरारनामे की प्रति, खसरा नकल इत्यादि संलग्न किए हैं ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा नये बिंदुओं का निर्धारण कर प्रकरण जांच हेतु भेजना न्यायसंगत नहीं है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक की क्रय की हुई भूमि है, शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है । आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास 4.55 हैक्टर भूमि शेष बच रही है, इस संबंध में भी दस्तावेज आवेदक ने संलग्न किए थे जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं आती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-10-16 निरस्त किया जाता है तथा उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम नयागांव, न. बं. 236 प.ह. नं. 33/38 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 147/1 रकबा 1.330 हैक्टर को /गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राकेश अवस्थी पिता श्री शिवरतन अवस्थी को विक्रय करने की अनुमति निम्न	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 205-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	